(वाद संख्या–**167/17**)

03-02-2020

मोनिका साह उर्फ मुन्नी गुप्ता, पत्नी, नरेन्द्र प्रसाद साह उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के साकिन–भागकोहलिया, वार्ड नं0–07, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया स्थित घर पर, पप्पु मंडल वगैरह द्वारा स्थानीय पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से घर में घुसकर अपमानित करने तथा स्त्रीत्व लज्जा भंग करने व परिवाद संख्या–1231सी0/15 को उठा लेने की धमकी दिये जाने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि उसने अपना किरायाधीन मकान को एक मनोरमा देवी नामक महिला से एकरारनामा के आधार पर वर्ष–1990 में किराया पर लिया था। बाद में दिनांक–16.07.1994 को उक्त कथित मनोरमा देवी द्वारा 24डी0 जमीन में बनी अपनी मकान को एक झवरलाल मालू को निबंधित बिक्रय विलेख द्वारा बिक्रय कर दिया। क्रयोपरान्त क्रेता झवरलाल मालू तथा मनोरमा देवी ने किराया के भुगतान में चूक के आधार पर परिवादी के विरूद्ध एक निष्कासन वाद सं0–18/94 दाखिल किया, जो वर्त्तमान में अररिया स्थित व्यवहार न्यायालय में लंबित है। उक्त के आलोक में ही झवरलाल मालू द्वारा अन्य अपराधकर्मियों के साथ मिलकर उस विवादित मकान को खाली करने हेतु उसे धमकाया जा रहा है। परिवादी का कहना है कि झवरलाल मालू ने भी निष्कासन वाद सं0–18/94 के लंबित रहने के दौरान विवादित मकान को गौतम चौधरी तथा पुरूषोत्तम चौधरी नामक व्यक्तियों को बिक्रय कर दिया।

परिवादी का यह भी कथन है कि समान आशय के आयोग में दिये गये परिवाद–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में उसकी ओर से परिवाद संख्या–1231सी0/15 अररिया स्थित व्यवहार न्यायालय में दाखिल किया है, जो वर्त्तमान में लंबित है।

प्रसंगाधीन मामला प्रथम दृष्टया एक सिविल मामला प्रतीत होता है। परिवादी को सलाह दी जाती है कि वह सक्षम न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकती हैं। आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई निर्देश/आदेश दिया जाना उचित नहीं है।

आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामला मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे बंद किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक